

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री रामदर सिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2024/ 5149

दिनांक - 28-08-24

प्रार्थी

वनाम

अप्रार्थीगण

1 रमजान पुत्र गुमानखां
जाति तेली निवासी सुथारों
की ढाणी, भाड़खा तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर


1 अमीन पुत्र करीम 2 गफूखान 3 शाहरुख पिसरान
जुसबखां 4 जलालखां 5 सुभानखां 6 इब्राहीम पिसरान
गुमाना जाति तेली निवासी सुथारों की ढाणी, तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 7 ईश्वरदास 8 घुडाराम
पिसरान पुनमाराम 9 नारायणदास 10 रामेश्वरदयाल निवासी
तुलछाराम जाति सुथार निवासीयन जगदम्या मंदिर के पास,
चौहटन 11 अक्षय अग्रवाल पुत्र कमल अग्रवाल जाति
अग्रवाल निवासी मुडित मैसन के पास पदम प्रियपाल लिंक
रोड जोधपुर 12 शीला अग्रवाल पत्नि कमल अग्रवाल मुडित
मैसन के पास पदम प्रियपाल लिंक रोड जोधपुर 13 पवन
कुमार पुत्र जसवन्तमल मेहता जाति जैन निवासी
कल्यानपुरा मार्ग नं. 1 बाड़मेर 14 मै. सालासर वालाजी
वेन्टानाईट प्रा.लि. मनिष कुमार वल्द मुकनाराम, अर्जुनराम
पुत्र नारायणदास जाति चौधरी टी एफ 11 गोविन्द नगर
हाउसिंग बोर्ड कोलोनी राजसमंद तहसील राजसमंद 15
भीमा पुत्र तगा जाति सुथार निवासी सुथारों की ढाणी,
भाड़खा 16 तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमवन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 469/2024

दिनांक- 22/08/24

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सुथारों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला
बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 342/184 रकबा 7.7700 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमवन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमवन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि
निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी
निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमवन्दी की जावे। कमीश्नर
शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके
पर अदा किया जावेगा।



(समदर-सिंह-भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2024/ 5150-53

दिनांक- 28.08.24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमवन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी रमजान पुत्र गुमानखां जाति तेली निवासी सुथारों की ढाणी, भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अमीन पुत्र करीम वगैराह जाति तेली निवासी सुथारों की ढाणी, तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर